

C.S. 15/16
मौली 43 मोहन

मौली

साराया

20.08.25 वकील पक्षाकारान उपाय

वकील वादी न गवाह रामदेव, सावरलंग

किशनलाल, गोगाराम का बयान पत्र

पेश किया - कि ल दिलवार्ड गर्ड शामिल
पगावली रहे, वकील प्रतिवादी

(4) (5) न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आपदेश

17 नियम 1 CPC पेश किया - कि ल
दिलवार्ड गर्ड शामिल पगावली रहे

प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पगावली
का आवलोकन किया लख्या और परिशिष्टिया

का देखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आपदेश

17 नियम, ^{CPC} स्वीकार कर वकील प्रतिवादी

न. (4) (5) को निर्देशित किया जाता है

कि (15) दिवस के भीतर शरण आपदेश

पेश करे अन्यथा जिरह करे। पगावली

वाले पेश होने शरण आपदेश। जिरह लख्य


वादी हउ दिनांक

03.09.25 का पेश

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01
किशनगढ़ (अजमेर)

किशनलाल

गोगाराम



रामदेव